फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कौशल्या बिश्नोई, आर.ए.एस, उपखंड अधिकारी मुकाम झुन्झुनू

उनवानी रामेश्वरलाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर

किस्म मुकदमा धारा (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट धारा 111 सहपठित धारा 128 पत्थरगढी)

मु0न0:– 131 / 25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम
22.05.2026	पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी उपस्थित । वकील प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रार्थी का देहांत होने से प्रार्थना पत्र आदेश अन्तर्गत 22 नियम 03 सीपीसी पेश किया हुआ है को स्वीकार करने एवं पत्थरगढी का आदेश किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश अन्तर्गत 22 नियम 03 सीपीसी एवं मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश अन्तर्गत 22 नियम 03 सीपीसी स्वीकार किया जाता हैं । दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। अप्रार्थी की सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वाद ग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड राजस्व ग्राम खटकड पटवार हल्का कैड तहसील गुढागोडजी के खसरा नम्बर 852, 853, 854, 855 की भूमि की प्रार्थी व पडोसी खातेदारान एवं सह खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार गुढागौडजी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम खटकड पटवार हल्का कैड तहसील गुढागोडजी के खसरा नम्बर 852, 853, 854, 855 की भूमि के प्रार्थीगण व सहखातेदारान व पडोसी खातेदारो को सुचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.05.2025 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नही की जावे। तहसीलदार गुढागौडजी को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	